# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा :– 24/20

1. कुमारी बसंत कंवर पुत्री दातारसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम जोगलसर, तहसील बीदासर जिला चूरू, (राज.)।
2. रेवंतसिंह नाबालिग उम्र 15 वर्ष पुत्र दातारसिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती कंचन कंवर पत्नी दातारसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम जोगलसर, तहसील बीदासर जिला चूरू, (राज.)।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. दातारसिंह पुत्र स्व. बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोगलसर, तहसील बीदासर जिला चूरू, (राज.)।
2. जगदीशसिंह पुत्र स्व. बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोगलसर, तहसील बीदासर जिला चूरू, (राज.)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
4. उपपंजीयक बीदासर, तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

**प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 दीवानी प्रकिया संहिता**

उपस्थित :– 01. श्री बजरंगसिंह, एडवोकेट प्रार्थी।
02. श्री मनोज गोदारा, एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 01।
02. पैरोकार राज अप्रार्थी संख्या 03।

## –: आदेश :–

दिनांक :– 23/2/26

इस आदेश के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा सपठित धारा 151 दीवानी प्रकिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है–

1. यह कि उपरोक्त अनुवानी दावा श्रीमानजी के न्यायालय में प्रार्थीगण की ओर से मजबूत व ठोस आधारों पर पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत खसरा नंबर 790 (सात सौ नब्बे) तादादी 10.8633 (दस प्वाईंट आठ छः तीन तीन) हैक्टेयर व खसरा नंबर 874 (आठ सौ चोहत्तर) तादादी 6.9176 (छः प्वाईंट नौ एक सात छः) हैक्टेयर कुल किता 2 (दो) खेत कुल तादादी 17.7809 (सत्रह प्वॉईंट सात आठ जीरा नौ) हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1 (एक) व 2 (दो) के नाम से वर्ज चली आ रही है। वादगत खसरेजात की भूमि की खातेदारी पड़दादा जोधसिंह पुत्र शैतानसिंह, दादा बन्नेसिंह पुत्र जोधसिंह के कब्जा, काश्त, खातेदारी अधिकारों की भूमि थी जो पैतृक भूमि है तथा प्रार्थीगण स्व. बन्नेसिंह के पौत्र व पौत्री है। इसलिए वादगत खेत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी कृषि भूमि है। प्रार्थीगण का हिन्दु उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम-2005 की धारा 6 (1) के अनुसार कृषि भूमि में 1/6, 1/6 हिस्सा जन्म से ही कायम हो गया है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र को सही ढंग से समझने के लिये वंशवृक्ष निम्न प्रकार है-

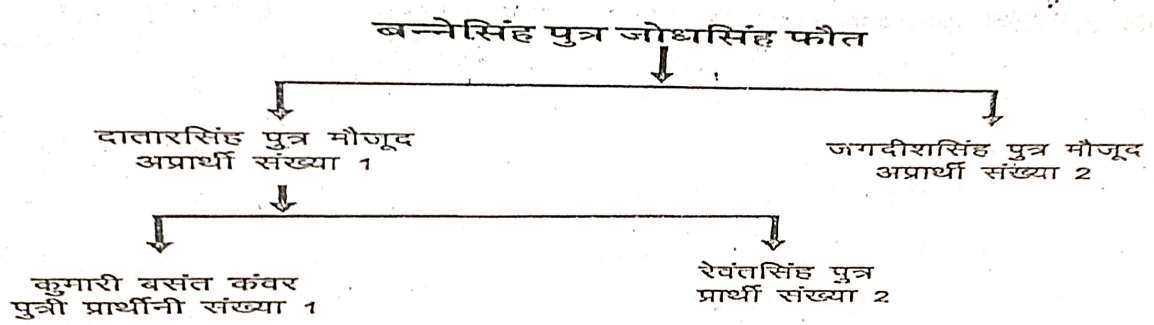


4. यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पुत्र-पुत्री है तथा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के पिता स्व. बन्नेसिंह पुत्र स्व. जोधसिंह के पौत्र पौत्री है। वादीगण का जन्म बन्नेसिंह के जीवनकाल में हो गया था। कानूनी दृष्टि से दादा की संपति में दादा के जीवनकाल में पौत्र-पौत्री के जन्म लेते ही हक व हिस्सा कायम हो जाता है। इसलिये प्रार्थीगण का वादगत भूमि में बन्नेसिंह का स्वर्गवास होते ही अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 (एक) दातारसिंह के साथ 1/6 (एक बट्टा छः) -1/6 (एक बट्टा छः) हक हिस्सा भूमि में कानूनन कायम हो गया है तथा प्रार्थीगण का वादगत भूमि में 1/6 (एक बट्टा छः)-1/6 (एक बट्टा छः) हक हिस्सा भूमि पर अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 (एक) दातारसिंह के साथ कब्जा काश्त चला आ रहा है।

5. यह कि वादगत खेत खसरा नंबर 790 (सात सौ नब्बे) तादादी 10.8633 (दस प्वाईंट आठ छः तीन तीन) हैक्टेयर व खसरा नंबर 874 (आठ सौ चोहत्तर) तादादी 6.9176 (छः प्वाईंट नौ एक सात छः) हैक्टेयर पर प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 (एक) दातारसिंह के साथ कब्जा, काश्त, खातेदारी, अधिकार चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने वर्तमान में वादगत भूमि में अपने हिस्से वाली भूमि पर मोठ, बाजरी, मूंग, ग्वार इत्यादि की फसल काश्त कर रखी है और प्रार्थीगण का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

से व कानूनी दृष्टि से अपने हिस्से पांति की 1/6 (एक बट्टा छः)-1/6 (एक बट्टा छः) हिस्सा पांति की भूमि पर काश्त, उपयोग, उपभोग साधिकारपूर्वक चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण का वादगत खसरेजात की खातेदारी भूमि ननन 1/6 (एक बट्टा छः)-1/6 (एक बट्टा छः) हिस्सा पांति की भूमि है।

6. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) दातारसिंह शरावी व झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है। जो शराब पीकर आये दिन प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच व मारपीट करता है और प्रार्थीगण को शराब पीकर तंग व परेशान करता है और अप्रार्थी संख्या 1 (एक) प्रार्थीगण को बार-बार शराब पीकर धमकिया देता है कि मैं वादगत खसरेजात की भूमि को अजनबी व्यक्तियों को विक्रय हस्तान्तरण करके कब्जा करवाउंगा तथा दिनांक 18.09.2020 (अठारह सितम्बर सन् दो हजार बीस) को अप्रार्थी संख्या 1 (एक) भयंकर शराब पीकर नशे में धुत होकर आया और गाली गलौच करते हुये प्रार्थीगण को तंग परेशान किया और कहा कि मुझे शराब पीने के लिये रूपयों की आवश्यकता है इसलिये वादगत खसरेजात की भूमि को मैं अजनबी व्यक्तियों को विक्रय, हस्तान्तरण करके कब्जा करवाउंगा और प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से पांति की भूमि से बेदखल करवाउंगा। अप्रार्थीगण बिना किसी वैधानिक आवश्यकता के वादगत कृषि भूमि को विकय हस्तान्तरण करने पर आमादा है।

7. यह कि उपरोक्त खसरेजात की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि प्रार्थीगण की पैतृक व कोर्पासनरी सहदायकी सम्पति होने के कारण प्रार्थीगण का जन्म से ही वादगत भूमि में कानूनन अधिकार कायम हो गया है। अप्रार्थी सं. 01 कर्ता खानदान होने के कारण उसके अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित हो गयी वो इस वादगत कृषि भूमि का पूर्ण मालिक कभी नहीं रहा, मात्र 1/6 (एक बट्टा छः) हिस्से का अंशधारी है। प्रार्थीगण के दादा बन्नेसिंह के स्वर्गवास के समय प्रार्थीगण नाबालिग थे तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने अकेलों के नाम से खातेदारी विरासतन नामान्तरण द्वारा दर्ज करवायी वो प्रार्थीगण के मुकाबले गलत एवं शून्य है। प्रार्थीगण का अपने दादा के जीवनकाल में ही अपने हिस्से पांति की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। परन्तु प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं. 01 अकेले के खातेदारी प्रार्थीगण के मुकाबले गलत एवं शून्य दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण के कानूनी अधिकारों के विपरित असर पड़ता है एवं अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से पांति की भूमि को खुर्द-बुर्द कर विक्रय हस्तान्तरण रहन आदि करने में लगे हुये है यदि वादगत भूमि का विक्रय हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि से वंचित हो जायेगें। प्रार्थीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वोह अपने हिस्से पांति की भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने नाम से करावे तथा राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी का इन्द्राज अपने नाम करावे व अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करावे कि "वादगत खसरेजात की भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से पांति की भूमि में अप्रार्थीगण प्रवेश नहीं करें व कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं देवे, प्रार्थीगण को अपने हिस्से पांति की भूमि में प्रवेश करने, फसल लेने व लाटने से रोके नहीं और यदि

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

अपने गैर कानूनी कृत्यों में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को भयंकर अपूर्तिय क्षति होगी जिसकी पूर्ती होनी सूरत में संभव नहीं होगी।

8. यह कि वादगत भूमि खेत 790 (सात सौ नब्बे) तादादी 10.8633 (दस प्वाईंट आठ छः तीन तीन) हैक्टेयर व खसरा नंबर 874 (आठ सौ चोहत्तर) तादादी 6.9176 (छः प्वाईंट नौ एक सात छः) हैक्टेयर वाके रोही जोगलसर की भूमि से प्रार्थीगण को अनाधिकृत रूप से अप्रार्थीगण संख्या 1 (एक) व 2 (दो) द्वारा बेदखल कर दिया गया व अप्रार्थीगण संख्या 1 (एक) व 2 (दो) अपने गैर कानूनी कृत्यों में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी।

9. यह कि वादगत खेत 790 (सात सौ नब्बे) तादादी 10.8633 (दस प्वाईंट आठ छः तीन तीन) हैक्टेयर व खसरा नंबर 874 (आठ सौ चोहत्तर) तादादी 6. 9176 (छः प्वाईंट नौ एक सात छः) हैक्टेयर वाके रोही जोगलसर की भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 (एक) के संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी भूमि है। जिसको प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 (एक) संयुक्त रूप से काश्त कर फसल का बंटवारा करते आ रहे हैं। वादगत खेतों का अभी तक विधिवत बटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 (एक) व 2 (दो) ने आपस में सांठ गांठ कर प्रार्थीगण को हर प्रकार से तंग व परेशान करने लग गये हैं। वादगत खातेदारी संयुक्त रहने से प्रार्थीगण को कई प्रकार की कानूनी आपतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादगत खेतों में प्रार्थीगण का 1/6 (एक बट्टा छः), 1/6 (एक बट्टा छः) हिस्सा कब्जा व काश्त की भूमि का विधिवत विभाजन बाई मैट्स एण्ड वाउण्ड्स के आधार पर किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक से खातेदारी अंकित कर लगान का विभाजन करवाने के कानूनन अधिकारी है।

10. यह कि प्रार्थीगण ने दिनांक 18.09.2020 (अठारह सितम्बर सन् दो हजार बीस) से अप्रार्थीगण को निवेदन किया कि वो प्रार्थीगण के हिस्से पांति की कोपर्सनरी भूमि जो प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त हिस्से पांति की पैतृक भूमि में उनका 1/6 (एक बट्टा छः), 1/6 (एक बट्टा छः) हिस्से की खातेदारी दर्ज करवायें तथा प्रार्थीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत विभाजन करावें तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा नहीं देवें। प्रार्थीगण को नाजायज रूप से बेदखल नहीं करें। परन्तु अप्रार्थीगण ने कत्तई इन्कार कर दिया।

11. यह कि वादगत खसरेजात की भूमि वाके रोही जोगलसर तहसील बीदासर जिला-चूरू में स्थित होने के कारण श्रीमानजी के न्यायालय को सब प्रकार से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

12. यह कि प्रार्थीगण को हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत अपने दादा के जीवनकाल में वादगत भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अन्तर्निहित अधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

क प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केश साबित है तथा अपूर्त्य क्षति व सुविधा के सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के है। प्रार्थीगण का सारवान मामला है।

यह कि शेष तथ्य वरवक्त बहस किये जायेंगे।

प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि अप्रार्थीगण को खेत खसरा संख्या 790 तादादी 10.8633 हैक्टेअर व खसरा संख्या 874 तादादी 6.9176 हैक्टेअर कुल किता 2 खेत कुल तादादी 17.7809 हैक्टेअर वाके रोही जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू की भूमि को जब तक वादगत भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक विक्रय, हस्तानन्तरण, रहन, बंधक इत्यादि नहीं करें व प्रार्थीगण के कब्जा, काश्त में दखलअन्दाजी नहीं देवे व प्रार्थीगण को काश्त करने व फसल लेने, लाटने प्रवेश करने से रोके नहीं और न ही प्रार्थीगण के कानूनी अधिकारों के विपरित ऐसा कृत्य करें जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों के विपरित असर पड़े।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना गया, अप्रार्थीगण को दिनांक 05.10.2020 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि रोही ग्राम जोगलसर के खेत खसरा संख्या 790 तादादी 10.8633 हैक्टेअर व खसरा संख्या 874 तादादी 6.9176 हैक्टेअर के राजस्व रिकॉर्ड की व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री मनोज कुमार एडवोकेट ने अपना वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 04 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 21.04.2025 को प्रकरण में पैरवी की हिदायत नहीं होना अंकित किया है। अतः प्रकरण में जवाब प्रार्थना–पत्र बंद किया जाकर प्रकरण में एकतरफा बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वो वाद के निस्तारण तक वादगत खेत खसरा संख्या 790 तादादी 10.8633 हैक्टेअर व खसरा संख्या 874 तादादी 6.9176 हैक्टेअर कुल किता 2 खेत कुल तादादी 17.7809 हैक्टेअर वाके रोही जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू की भूमि को जबतक वादगत भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक विक्रय, हस्तानन्तरण, रहन, बंधक इत्यादि नहीं करें व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी नहीं देवें व प्रार्थीगण को काश्त करने व फसल लेने, लाटने प्रवेश करने से रोके नहीं और न ही प्रार्थीगण के कानूनी अधिकारों के विपरित ऐसा कृत्य करें जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों के विपरित असर पड़े।

आदेश दिनांक 23/2/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर